

अनुसूची 21- प्रथम संख्या - 1131

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 2324 191

आवेदन सं० 19

पुक्ति की Greetingali Vastika Pvt. Ltd. में मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निर्वाचित संचालक और अवभारों का निवेदन प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है) SANTOSH KUMAR

इसलिए मैं इसका द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संचालक और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणिका से ता० 2014 10 से ता० update तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संचालक और अवभारों का पता चला है :-

अवभार सूची

क्र. संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	प्लॉट के माप		दस्तावेज की प्र. के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	डॉ.	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कैला	इलाहाबाद जिला क्षेत्री		शेखर					
फरका	असपातल म		कैला	रकम	रकम			
मालाग	119		X	04	30			
मिना	पटना			18	31			
				04	33			
				02	06			
				05	35			
				08	46			

1,66,000 Sqft..

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 संयुक्त-पत्र की दशा में प्लाज की दर और गुणता की अवधि दर्ज करें। बताने कि इनके बारे में

2 पदों की दशा में पदों की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त सव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले कितने अन्य सव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तयार किया :-

(उस्तादार) -

(पदनाम) -

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जीव निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय

दिनांक



मुहर।

निबन्धन प्रमाणितकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो सव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित सव्यवहार (दस्तावेज) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे। निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित प्रक्रिया का मुग्तान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी। किन्तु धूँके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपने तलाशी अपने मरसक सावधानी से की है। फिर भी, धिमाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाश परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। और धूँके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और धूँके उसके द्वारा गये सव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुद्धे गये ऐसे सव्यवहारों और अवधारों को धूँके के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आपांक 2346 डिंक 24.9.18

निबन्धित, अरुण प्रमाणित, के आंक 2346, 24.9.18

24.9.18